(8)

क्रम-संख्या-313

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, शनिवार 16 अगस्त, 1997**
श्रावण 25, 1919 शक सम्वत्

**उत्तर प्रदेश सरकार**

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1256/सत्रह-वि-1—1(क)-9-1997
लखनऊ, 16 अगस्त, 1997

अधिसूचना

**विविध**

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1997 पर दिनांक 16 अगस्त, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

### उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1997

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1997)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के वर्ष 1997 में आयोजित स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के आधार पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में यथोचित प्रतिनिधित्व की, और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की, व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूंकि, डाक्टर आफ मेडिसिन, मास्टर आफ सर्जरी, मास्टर आफ डेण्टल सर्जरी और विभिन्न स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किये जाने के लिए पाठ्यक्रमों में, किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ और अन्य राजकीय मेडिकल कालेजों में प्रवेश स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है;

और चूंकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है;

और चूंकि शासनादेश संख्या 5744/सेक-14-पांच—30/90, दिनांक 11 अक्टूबर, 1994 द्वारा अंकों का न्यूनतम प्रतिशत सामान्य अभ्यर्थियों के लिए पैंतालीस प्रतिशत और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए पैंतीस प्रतिशत नियत किया गया था;

और चूंकि मध्य प्रदेश राज्य बनाम कुमारी निवेदिता जैन के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर विचारोपरान्त अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रवेश के लिए न्यूनतम अंकों को प्राप्त करने की आवश्यकता को शासनादेश संख्या 4137/सेक-14/पांच—95-140/90, दिनांक 31 अगस्त, 1995 द्वारा वापस ले लिया गया था;

और चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने साधना देवी तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य के मामले में उक्त शासनादेश दिनांक 31 अगस्त, 1995 को अभिखण्डित कर दिया है;

और चूंकि शासनादेश संख्या 634/पांच-14-97-140/90, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत सामान्य अभ्यर्थियों के लिए पैंतालिस प्रतिशत और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए पैंतीस प्रतिशत नियत किया गया है;

और चूंकि शासनादेश दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के अनुसार वर्ष 1997 में आयोजित स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के आधार अंकों के न्यूनतम प्रतिशत को पैंतीस प्रतिशत पर रख कर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश देने पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का कोटा नहीं भरा जा सकता जो आरक्षण नीति के अनुरूप नहीं होगा।

और चूंकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए अंकों के न्यूनतम प्रतिशत को नियत करने का प्रश्न विचाराधीन था अतः स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, 1997 से सम्बन्धित प्रवेश की प्रक्रिया यथा काउन्सिलिंग प्रारम्भ नहीं हो सकी;

और चूंकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए यह समीचीन समझा गया कि उक्त श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए वर्ष 1997 में आयोजित स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के आधार पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए अंकों के न्यूनतम प्रतिशत को बीस प्रतिशत पर रखा जाय;

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा।

(2) धारा 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दिनांक 1 अक्टूबर, 1996 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी, धारा 8 दिनांक 15 जून, 1997 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

परिभाषायें

2—इस अधिनियम में, -

(क) "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा" का तात्पर्य किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ या किसी अन्य राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के डाक्टर आफ मेडिसिन (एम० डी०), मास्टर आफ सर्जरी (एम० एस०), मास्टर आफ डेण्टल सर्जरी (एम० डी० एस०) और विभिन्न स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किये जाने के लिये ऐसे पाठ्यक्रमों से है जिनमें स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता हो किन्तु इसमें अति विशिष्टता पाठ्यक्रम सम्मिलित नहीं है;

उत्तर प्रदे अध्यादेश संख्या 6 १ 1997

(ख) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण

3—(1) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में, प्रवेश के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों; अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में स्थानों का निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा :-

| | |
|---|---|
| (क) अनुसूचित जातियों के मामले में- | इक्कीस प्रतिशत |
| (ख) अनुसूचित जन-जातियों के मामले में- | दो प्रतिशत |
| (ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में- | सत्ताईस प्रतिशत |

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसकी गणना उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्तियों के प्रति नहीं की जायेगी।

4—कोई अभ्यर्थी जिसने स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, 1997 में सामान्य अभ्यर्थी की दशा में पैंतालीस प्रतिशत और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थी की दशा में बीस प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किया हो, उक्त परीक्षा के आधार पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिये पात्र नहीं होगा।

शासनादेश का संशोधन

5—शासनादेश संख्या 5744—सेक-14/पांच-30/90, दिनांक 11 अक्टूबर, 1994 और संख्या 634/पांच-14-97-140/96, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 उस सीमा तक संशोधित हो जायेंगे कि स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, 1997 के आधार पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और नागरिक के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए बीस प्रतिशत होगा।

अभिभावी प्रभाव

6—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में या राज्य सरकार के किसी आदेश में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे और धारा 4 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अंक स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, 1997 के आधार पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक समझे जायेंगे और न्यूनतम अंक रहे हुए समझें जायेंगे मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

अपवाद

7—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों का यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, 1997 में प्रवेश की प्रक्रिया को स्थगित करने में कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य और विधिसंगत समझी जायेगी।

कठिनाइयों को दूर करना

8—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 1997

9—(1) उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

रविन्द्र दयाल माथुर,

सचिव।

No. 1256 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 9/1997
*Dated Lucknow* : August 16, 1997

IN pursuance of the provions of clause (3) of article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following english translation of the Uttar Pradesh Snatkottra Chikitsa Shiksha (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan-Jattiyon Aur Anya Pichhare Vergon Ke Liye Aarakshan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 1997) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 16, 1997.

# THE UTTAR PRADESH POST GRADUATE MEDICAL EDUCATION (RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) ACT, 1997

(U.P. Act No. 14 of 1997)

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

*to provide for adequate representation of persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens in the Post-Graduate Medical Education on the basis of Post-Graduate Medical Entrance Examination, held in the year 1997 and matters connected therewith or incidental thereto.*

WHEREAS admission to courses of study for award of Doctor of Medicine, Master of Surgery, Master of Dental Surgery and various Post-Graduate Diploma, in the King George's Medical College, Lucknow and other State Medical Colleges are made through Post-Graduate Medical Entrance Examination;

AND WHEREAS for adequate representation of person belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens, provisions for reservation have been made;

AND WHEREAS *vide* Government Order no. 5744 Sect–14/Panch–30/90 dated October 11, 1994 minimum percentage of marks for admission for general candidates was fixed at forty-five per cent and for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens was fixed at thirty-five per cent;

AND WHEREAS after considering the orders of the Hon'ble Supreme Court passed in the case of State of Madhya Pradesh *vs.* Km. Nivedita Jain, the requirement of obtaining minimum marks for admission of the persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens was withdrawn *vide* Government Order no. 4137 Sect–14/Panch–95–140/90 dated August 31, 1995;

AND WHEREAS the Hon'ble Supreme Court in the case of Dr. Sadhna Devi and others *vs.* State of U.P. and others has quashed the said Government Order dated August 31, 1995;

AND WHEREAS *vide* Government Order no. 634/Panch–14–97–140/90 dated April 2, 1997 the minimum percentage of marks for admission to Post-Graduate Medical Education for general candidates has been fixed at forty-five per cent and for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens at thirty-five, per cent ;

AND WHEREAS in making admission to Post-Graduate Medical Education in accordance with Government Order dated April 2, 1997 while keeping the minimum percentage of marks at thirty-five per cent on the basis of the Post-Graduate Medical Entrance Examination held in the year 1997 the quota for Scheduled Castes, Scheduled Tribes could not be filled which would not be in consonance with reservation policy;

AND WHEREAS the question of fixation of minimum percentage of marks for admission of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens was under consideration the process of admission such as counselling in respect of Post-Graduate Medical Entrance Examination, 1997 could not be commenced;

AND WHEREAS to ensure adequate representation of persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens in admission to Post-Graduate Medical Education on the basis of Post Graduate Medical Entrance Examination held in the year 1997 it has been considered expedient to fix the minimum percentage of marks for the said categories of person at twenty per cent;

IT IS HEREBY enacted in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Post-Graduate Medical Education (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1997.

(2) Section 2, 3, 4, 5, 6 and 7 shall be deemed to have come into force on October 1, 1996, section 8 shall be deemed to come into force on June 15, 1997 and remaining provisions shall come into force at once.

Definitions

2. In this Act :—

*(a)* "Post-Graduate Medical Education" means courses of study for the award of Doctor of Medicine (M.D.), Master of Surgery (M.S.), Master of Dental Surgery (M.D.S.) and various Post-Graduate Diploma of the King George's Medical College, Lucknow or any other State Medical College in which admissions are made through Post-Graduate Medical Entrance Examination but shall not include superspeciality courses;

*(b)* "other backward classes of citizen" means the backward classes of citizens specified in Scheduled-I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994.

Reservation of seats in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens

3. (1) In Post-Graduate Medical Education there shall be reserved at the stage of admission, the following percentages of seats in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens :

*(a)* in the case of Scheduled Castes — twenty-one per cent;

*(b)* in the case of Scheduled Tribes — two per cent;

*(c)* in the case of other backward classes of citizens : — twenty-seven per cent

Provided that the reservation under clause *(c)* shall not apply to the category of other backward classes of citizens specified in Schedule-II of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994.

(2) If a person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) gets selected on the basis of merit in the Post-Graduate Medical Entrance Examination with general candidates, he shall not be counted against the vacancies reserved for such category under sub-section (1).

Requirement of minimum marks for admission

4. A candidate who has secured less than forty-five per cent marks in case of general candidates and twenty per cent marks in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens in the Post-Graduate Medical Entrance Examination, 1997 shall not be eligible for admission to Post-Graduate Medical Education on the basis of said examination.

Amendment of orders

5. The Government orders no. 5744 Sect–14/Panch–30/90 dated October 11, 1994 and no. 634/Panch-14/97–140/96 dated April 2, 1997 shall stand amended to the extent that minimum percentage of marks for admission to Post-Graduate Medical Education on the basis of Post Graduate Medical Entrance Examination, 1997 shall be twenty per cent for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens.

Over riding effect

6. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order of any court or in the order of the State Government and the minimum marks specified in section 4 shall be deemed to be and to have been minimum marks for admission to the Post-Graduate Medical Education on the basis of Post-Graduate Medical Entrance Examination, 1997 as if the provisions of this Act were in force at all material times.

Savings

7. Anything done or any action taken to postpone the admission process in relation to Post-Graduate Medical Entrance Examination, 1997 to ensure adequate representation of persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens shall be deemed to be valid and lawful.

Removal of difficulty

8. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provision of this Act, the State Government may by a notified Order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after expiration of the period of two years from the commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

U.P. Ordinance no. 6 of 1997.

9. (1) The Uttar Pradesh Post Graduate Medical Education (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other backward classes) Ordinance, 1997 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

R. D. MATHUR,

*Pramukh Sachiv.*

पी० एस० यू० पी० ए० पी० 142 सा० विधा०—16-8-97—(996)—850—(कम्प्यू० / आफसेट) ।

7-123 Vidhayika-Bill (Eng.)